**अति आवश्यक,**
**ई–मेल,**

प्रेषक,

योगेन्द्र राम गुप्ता
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश,
(एस.सी./एस.टी. अधिनियम),
हाथरस।

प्रापक,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
एन.आई.सी., हाथरस।

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।

विषयः **जनपद न्यायालय, हाथरस के प्रांगढ़ में स्थित 01 नीम का सूखा खड़ा वृक्ष (अयोग्य) को नीलाम किये जाने की सूचना, एन.आई.सी., हाथरस की वेबसाईट पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि जनपद न्यायालय, हाथरस के प्रांगढ़ में स्थित 01 नीम का सूखा खड़ा वृक्ष (अयोग्य) को राजस्व की प्राप्ति हेतु नीलाम किया जाना है, जिस हेतु दिनाँक 31.07.2020 दिन शुक्रवार को सायं 04:00 बजे स्थान जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में नीलामी की बोली बोलने के लिए नियत की गयी है, जिसके व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु नीलामी की सूचना, एन0आई0सी0, हाथरस की वेबसाईट पर उपलब्ध करायी जानी आवश्यक है।

इस क्रम में नीलामी से सम्बन्धित सूचना इस आशय से आपको प्रेषित की जा रही हैं कि आप नीलामी की सूचना, व्यापक प्रचार प्रसार हेतु एन0आई0सी0, हाथरस की वेबसाईट **www.hathras.nic.in** पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

06.07.2020
(योगेन्द्र राम गुप्ता)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश,
(एस.सी./एस.टी. अधिनियम),
हाथरस।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

HATHRAS JUDGESHIP
No. 1133/XV-civil Date 06/07/2020
FORWARDED

DISTRICT JUDGE
HATHRAS
06.07.2020

Scanned by CamScanner

# कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग), जनपद न्यायालय, हाथरस।

## नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस के प्रांगढ़ में स्थित 01 नीम का सूखा खड़ा वृक्ष (अयोग्य) जिसकी गोलाई 121 से०मी० है, को प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन विभाग, हाथरस द्वारा प्रेषित आख्यानुसार नीलामी की कार्यवाही को पूर्ण किया जाना है, जिस हेतु **दिनाँक 31.07.2020 दिन शुक्रवार समय सायं 4:00 बजे** नियत है।

इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु समय से केन्द्रीय नज़ारत, जनपद न्यायालय, हाथरस में उपस्थित होकर जमानत धनराशि जमा किया जाना सुनिश्चित करें। नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तों या अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट **http://www.allahabadhighcourt.in** एनआईसी, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट **https://hathras.nic.in** एवं केन्द्रीय नजारत, हाथरस से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

दिनाँक:01.07.2020

01-07-2020

( योगेन्द्र राम गुप्ता )
अध्यक्ष, नीलामी समिति /
विशेष न्यायाधीश,
(एस.सी. / एस.टी. अधिनियम)
हाथरस।

## आदेश

अवलोकित। अनुमोदित

01/07/2020

जनपद न्यायाधीश,
हाथरस।

Scanned by CamScanner

# कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग),
# जनपद न्यायालय, हाथरस।

## इश्तहार नीलामी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस के प्रांगढ़ में स्थित 01 नीम का सूखा खड़ा वृक्ष (अयोग्य) जिसकी गोलाई 121 से०मी० है, को प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन विभाग, हाथरस द्वारा प्रेषित आख्यानुसार नीलामी की कार्यवाही को पूर्ण किया जाना है, जिस हेतु **दिनाँक 31.07.2020 दिन शुक्रवार समय सायं 4:00 बजे नियत** की गयी है। इच्छुक व्यक्ति समय से नीलामी की बोली बोलने हेतु जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में उपस्थित हों। नीलामी की समस्त शर्तों की विस्तृत जानकारी http://www.allahabadhighcourt.in, https://hathras.nic.in एवं केन्द्रीय नजारत, हाथरस से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

**नीलामी की आवश्यक शर्तें :–**

01. सभी ठेकेदार/बोलीदाता को नीलामी से 02 घण्टे पूर्व केन्द्रीय नजारत, हाथरस में जमानत धनराशि रू० 1,000/–(एक हजार) जमा करना होगा। अन्यथा ठेकेदार/बोलीदाता को नीलामी की कार्यवाही में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। नीलामी की समाप्ति पर यदि ठेकेदार/बोलीदाता के नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि ठेकेदार/बोलीदाता को वापस कर दी जायेगी।

02. ठेकेदार नियमानुसार आय कर एवं स्टॉप शुल्क जमा करेगा।

03. जिस व्यक्ति के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि तत्काल जमा करना होगा। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

04. प्रकाष्ठ की निकासी से पूर्व नियमानुसार कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन विभाग, हाथरस में कटान शुल्क, हैमर रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं अभिवहन शुल्क नियमानुसार जमा करना होगा।

05. वृक्ष की नीलामी की धनराशि जनपद न्यायालय, हाथरस में तथा कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन विभाग, हाथरस द्वारा नियमानुसार निर्धारित कटान शुल्क, हैमर रजिस्ट्रेशन शुल्क एवं अभिवहन शुल्क को राजकीय कोष में जमा करने के उपरान्त ही वृक्ष को काटने की अनुमति प्राप्त होगी।

06. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।

07. ठेका की स्वीकृति का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश का होगा।

08. प्रत्येक ठेकेदार को अपना आधार कार्ड/पहचान पत्र की प्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा नीलामी के समय मूल दस्तावेज लेकर आना आवश्यक है।

01.7.2020

(योगेन्द्र राम गुप्ता)
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश, (एस.सी./एस.टी. अधिनियम),
हाथरस।

प्रतिलिपि–

1. जिला जज, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. मुंसिफी हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. नगर पालिका, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. कलैक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. मुनादी कराये जाने हेतु।
6. तहसील हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश,
(एस.सी./एस.टी. अधिनियम),
हाथरस।

Scanned by CamScanner